से घोषित किया जाता है कि वे वाद पत्र की धारा
ख, 20, ग. में अंकित भूमि के उपयोग उपभोग में
किसी प्रकार का कोई व्यवधान कारित नहीं करें

पत्रावली किंचित कुमार डोकर बनाम के आदेश
तथा सहित रखा रहे।

दिनांक आज दिनांक 17.5.18 को कोर्ट बोर्ड
केस में सुनाया गया।

अधिकारी